रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 1987/श्रावण 29, 1909
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 1987/SRAVANA 29, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1987

का.आ. 785 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में वे अपवाद निर्बंधन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) उसी रीति में मोहिनी मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता को लागू होता रहेगा जैसे, वह 23, अक्तूबर, 1981 को मोहिनी मिल्स लिमिटेड को अधिकार में लेने से पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

वह धारा जिसके उपबन्ध लागू होंगे	वे अपवाद, निर्बंधन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रमों को लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 210 (1)	कंपनी का तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा वार्षिक साधारण-बैठक के समक्ष नहीं रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में कंपनी को विहित समय से भीतर पहले की ही तरह तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा तैयार करना होगा किन्तु वार्षिक साधारण बैठक के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है । कंपनी, कम्पनी रजिस्ट्रार के पास कानूनी विवरणी और तुलनपत्र फाइल करेगी। छूट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 (1) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
धारा 216	लाभ और हानि लेखा, तुलनपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उसके साथ संलग्न की जाएगी ।
धारा 217	निदेशक बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तुलनपत्र के साथ संलग्न की जानी अपेक्षित है ।
धारा 219	तब तक विधिमान्य है जब तक कंपनी, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन शासित होती है ।
धारा 224	इस शर्त के अधीन रहते हुए कि लेखा परीक्षक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।
धारा 227	इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि लेखा परीक्षक सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे ।
धारा 229	तब तक विधिमान्य है जब तक कंपनी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबन्ध के अधीन शासित होती है ।

[फा. सं. 11017/2/83-एल सी भाग]

एस.एन. शुक्ल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 17th August 1987

S.O. 785 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed here to the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the Mohini Mills Limited, Calcutta in the same manner as it applied thereto before the take over of the Mohini Mills Limited on 23rd October, 1981.

SCHEDULE

Provision of the	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the undertaking.
(1)	(2)
Section 210 (1)	Balance Sheet and Profit and Loss Accounts of the Company shall not be placed before the Annual General Meeting. In other words the Companies shall have to prepare Balance Sheet and profit and Loss Accounts as usual within the prescribed time but are not required to place the same before the Annual General Meeting. The Company shall file the statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption shall not affect the provisions of Section 159 (1) of Companies Act, 1956.
Section 216	The profit and loss account shall be annexed to the balance sheet and the Auditor's report shall be attached thereto.
Section 217	Reports of the Board of directors and that of the Auditors' are required to be attached to the balance sheet.

Section 219	Valid till the Company is governed under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
Section 224	Subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government.
Section 227	Subject to the condition that the auditors shall be appointed by the Government.
Section 228	Valid till the Company is governed under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[File No. 11017/2/83—NTC Pt.]

S. N. SHUKLA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987